रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 17 दिसम्बर, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/22/112/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए के साथ पठित धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2011 को प्रतिस्थापित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**
   (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे ।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
   (3) ये विनियम उन भारतीय बीमा कंपनियों पर लागू होंगे जिन्हें जीवन बीमा का व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

i. **"अधिनियम"** से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ii. "**आवेदक कंपनी**" से ऐसी भारतीय बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसे जीवन बीमा का व्यवसाय करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के अनुसार पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो;

iii. **"आवेदन"** से इन विनियमों के अधीन पूँजी निर्गम के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदक कंपनी द्वारा इन विनियमों के फार्म "ए" में दाखिल किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

iv. **"प्राधिकरण"** से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

v. **"कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश"** से प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देश अभिप्रेत हैं;

vi. **"आईसीडीआर विनियम"** से समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 अभिप्रेत हैं;

vii. **"भारतीय बीमा कंपनी"** से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 (7ए) में यथापरिभाषित "भारतीय बीमा कंपनी" अभिप्रेत है;

viii. **"निवेशक"** से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 के विनियम 2(एफ) में यथापरिभाषित "निवेशक" अभिप्रेत है;

ix. **"प्रस्ताव दस्तावेज"** से आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत यथापरिभाषित "प्रस्ताव दस्तावेज" अभिप्रेत है;

x. आवेदक कंपनी के **"प्रवर्तक"** से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(69) में यथापरिभाषित प्रवर्तक अभिप्रेत है तथा इसमें आईआरडीए (भारतीय बीमा कपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में यथापरिभाषित "भारतीय प्रवर्तक" शामिल है;

बशर्ते कि सेबी के पास प्रस्ताव दस्तावेज दाखिल करने के प्रयोजन के लिए, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अंतर्गत "प्रवर्तक" की परिभाषा लागू होगी;

xi. **"सेबी"** से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अथवा उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा

विनियमों में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन

3. जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली कोई भी भारतीय बीमा कंपनी आईसीडीआर विनियमों के अधीन, शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के लिए तथा किसी भी अनुवर्ती निर्गम के लिए, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, इन विनियमों के अधीन लिखित में प्राधिकरण के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना सेबी से संपर्क नहीं करेगी।

विधि और प्रक्रिया

4. (1) ये विनियम निम्नलिखित किसी भी विकल्प के माध्यम से आईसीडीआर विनियमों के अधीन निधियाँ जुटाने के लिए आवेदक कंपनी पर लागू होंगेः

i. विक्रय के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से एक अथवा उससे अधिक प्रवर्तक अथवा निवेशक द्वारा ईक्विटी का निर्निहितीकरण (डाइवेस्टमेंट); अथवा
ii. पूँजी का निर्गम; और/या
iii. दोनों (i) और (ii)

बशर्ते कि उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) पर विनिर्दिष्ट पूँजी निर्गम को छोड़कर, अधिनियम की धारा 6ए (4)(ख)(ii)/(iii) के अंतर्गत निर्धारित रूप में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक शेयरों के किसी अंतरण सहित, पूँजी के किसी अन्य निर्गम के लिए प्राधिकरण का विशिष्ट पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। शेयरों के ऐसे अंतरण और अनुमोदन आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 से नियंत्रित होंगे।

(2) इन विनियमों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के द्वारा शेयर पूँजी जुटाने का प्रस्ताव करनेवाली आवेदक कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की तारीख से लेकर किसी भी समय ऐसा कर सकती है।

बशर्ते कि प्रवर्तक और/ या निवेशक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड), यदि कोई हो, का पालन करेंगे।

(3) प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए आवेदन इन विनियमों के फार्म `ए' में दाखिल किया जाएगा।

(4) आवेदक कंपनी शेयरों का निर्गम पूर्णतः प्रदत्त अथवा अंशतः प्रदत्त रूप में कर सकती है। जहाँ अंशतः प्रदत्त शेयर जारी किये गये हों, वहाँ आवेदक कंपनी शेयरों के संबंध में माँग (कॉल्स) के भुगतान के लिए एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि की अनुमति नहीं देगी।

आवेदन पर विचार

5.(1) प्राधिकरण आवेदक कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति, उसके विनियामक वृत्त, पूँजी के निर्गम / विक्रय हेतु प्रस्ताव के लिए आवेदन, पूँजी के निर्गम / विक्रय हेतु प्रस्ताव के बाद पूँजी विन्यास, तथा जुटाने हेतु प्रस्तावित शेयर पूँजी जिन प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, उनपर विचार करेगा।

(2) उपर्युक्त (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगाः

i. वह अवधि जिसके दौरान आवेदक कंपनी जीवन बीमा व्यवसाय में रही है;

ii. आवेदक कंपनी द्वारा विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन का इतिहास;

iii. आवेदन दाखिल करने की तारीख से तत्काल पहले की तिमाही से प्रारंभ करते हुए पूर्ववर्ती छह तिमाहियों के अंत में निर्धारित विनियामक शोधक्षमता मार्जिन का अनुरक्षण;

iv. समय-समय पर यथासंशोधित और आशोधित आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/एफएण्डए/012/01/2010 दिनांक 28 जनवरी 2010 के अंतर्गत अधिदेशात्मक की गई प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन;

v. कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन;

vi. भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(7ए)(बी) तथा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथापरिभाषित "भारतीय स्वामित्वप्राप्त और नियंत्रित" संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन;

vii. पॉलिसीधारक संरक्षण का उसका रिकॉर्ड; और

viii. आवेदक कंपनी का अंतःस्थापित (एम्बेडेड) मूल्य। ऐसे अंतःस्थापित मूल्य की रिपोर्ट एक स्वतंत्र बीमांकिक विशेषज्ञ द्वारा भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक प्रथा मानक से निर्धारित तरीके से तैयार की जाएगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण आवेदक कंपनी को विवरणिका (आरएचपी) जारी करने की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले स्वतंत्र बीमांकक की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अनुमति दे सकता है।

प्राधिकरण का अनुमोदन

6. (1) अपना अनुमोदन प्रदान करते समय प्राधिकरण निम्नलिखित को निर्धारित कर सकता है

i. वह सीमा जहाँ तक प्रवर्तक और निवेशक अपनी संबंधित शेयरधारिता को कम (डाइल्यूट) करेंगे;

ii.अधिकतम अभिदान जो विदेशी निवेशकों के किसी वर्ग को आबंटित किया जा सकता है;

iii.शेयरों के आबंटन की तारीख से प्रवर्तकों और निवेशकों के लिए न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड)। यह अवरुद्धता अवधि आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत विद्यमान अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी;

iv. सेबी द्वारा निर्धारित ऐसे प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, इन विनियमों की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रॉस्पेक्टस/प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकटीकरण।

v. आवेदक कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में आशोधन जिससे स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि अधिनियम की धारा 6ए में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक किसी अंतरण को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना पंजीकृत नहीं किया जाएगा; तथा

vi. प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी जानेवाली ऐसी अन्य शर्तें।

(2) इन विनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त किसी अनुमोदन के संबंध में किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं समझा जाएगा कि यह किसी प्रस्ताव दस्तावेज में आवेदक कंपनी द्वारा किये गये निरूपणों का वैधीकरण है अथवा वैधीकरण की आवश्यकता को पूरा करता है।

7. प्राधिकरण अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा, यदि उसकी राय में,

(क) आवेदक कंपनी विनियामक रूपरेखा का अनुपालन नहीं करती; अथवा.

(ख) प्रवर्तक (प्रवर्तकों) और/ या निवेशक (निवेशकों) द्वारा शेयरधारिता के न्यूनीकरण (डाइल्यूशन) अथवा नई पूँजी निर्गम के परिणामस्वरूप आवेदक कंपनी भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण वाली नहीं रहेगी; अथवा

(ग) अनुमोदन प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हितों के लिए हानिकर हो सकता है; अथवा

(घ) अनुमोदन प्रदान करना देश में बीमा व्यवसाय के हित में नहीं हो सकता।

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के लिए समय-सीमाएँ

8. प्राधिकरण आवेदन का प्रसंस्करण कर उसपर अनुमोदन यथाशीघ्र प्रदान करेगा तथा आवेदक कंपनी आवेदन के प्रसंस्करण के लिए प्राधिकरण द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले प्रश्नों और अनुरोधों का तत्परतापूर्वक उत्तर सुनिश्चित करेगी।

अनुमोदन की विधिमान्यता

9. प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन, अनुमोदन पत्र के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसके अंदर आवेदक कंपनी इन विनियमों के अनुपालन के अधीन आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत सेबी के पास रेड हेरिंग विवरणिका का प्रारूप (डीआरएचपी) दाखिल करेगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण आवेदक कंपनी से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर उक्त

विधिमान्यता को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

निर्देश जारी करने का अधिकार

10. प्राधिकरण जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली किसी भारतीय बीमा कंपनी को निर्देश दे सकता है कि वह शेयर बाजार (बाजारों) में स्वयं को सूचीबद्ध करवा ले, यदि परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो। ऐसी कंपनी अवरुद्धता अवधि (लॉक इन पीरियड) के होते हुए भी, ऐसे निर्देशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगी।

कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकारः

11. इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जानेवाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./161/15]

फार्म ए

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन

(विनियम 4 देखें)

अध्यक्ष

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

परिश्रम भवन

तीसरी मंजिल, बशीर बाग

हैदराबाद – 500 004

महोदय,

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015 के अनुसार,

मेसर्स……

(पंजीकरण संख्या………………….. दिनांक………………………) जिसने परिचालन के …………..वर्ष पूरे किये हैं, इसके द्वारा सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर विनियम) के अधीन एक सार्वजनिक निर्गम के द्वारा निधियाँ जुटाने के लिए अनुमति की अपेक्षा करते हुए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करता है।

2. इसके नीचे सूचीबद्ध रूप में अपेक्षित अनुलग्नकों के साथ विनियम 5 के अंतर्गत उल्लिखित विभिन्न कार्यनिष्पादन मानदंडों का विवरण अनुबंध में प्रस्तुत किया गया हैः

(i)

(ii)

(iii)

3. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक प्रथा मानक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई अंतःस्थापित (एम्बेडेड) मूल्य की रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है। (यदि यह रिपोर्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है, तो इसे शीघ्र और प्रॉस्पेक्टस के निर्गम की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)
4. प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (बीमा कंपनी) ………………………………………… …………………………………………………………… आईसीडीआर विनियमों के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास एक प्रस्ताव दस्तावेज एक वर्ष की अवधि के अंदर

दाखिल करेगी तथा उपर्युक्त विनियमों के अधीन विद्यमान अपेक्षाओं एवं ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जो प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करते समय लागू कर सकता है।

भवदीय

स्थानः

दिनांकः

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)
पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)
पदनाम

आवेदनपत्र का अनुबंध

(विनियम 4 के अंतर्गत फार्म ए देखें)

1. आवेदक कंपनी का नामः
2. पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का दिनांकः
3. परिचालन के प्रारंभ की तारीख से वर्षों की संख्याः
4. पिछली छह तिमाहियों के लिए शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) की स्थितिः

क्रम सं.	समाप्त तिमाही (पहले नवीनतम तिमाही)	शोधक्षमता की स्थिति
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. पिछले पाँच वर्षों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन प्रबंध व्यय संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थितिः

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (पहले नवीनतम वर्ष)	अनुमतियोग्य व्यय (करोड़ रुपये)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये)	अनुपालन की स्थिति
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. पिछले पाँच वर्षों के लिए बीमाकर्ता के निवल लाभ, प्रदत्त पूँजी और निवल मालियत (नेट वर्थ) का विवरण

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष (पहले नवीनतम)	निवल लाभ/हानि (करोड़ रुपये)	प्रदत्त पूँजी (करोड़ रुपये)	निवल मालियत (करोड़ रुपये)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुपालन की पुष्टिः

मेसर्स ……………………………………………………………………….. इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह समय-समय पर यथासंशोधित और आशोधित आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीए/ एफएण्डआई/ सीआईआर/ एफएण्डए/ 012/ 01/ 2010 दिनांक 28 जनवरी 2010 में अधिदेशात्मक की गई प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है।(यदि कोई विचलन हो तो उसका विवरण प्रकट किया जाना चाहिए)।

8. कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टिः

मेसर्स ……………………………………………………………………………. इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालनकर्ता है।

(यदि कोई विचलन हो तो उसका विवरण प्रकट किया जाना चाहिए)।

9. पिछले पाँच वर्षों के दौरान बीमाकर्ता के विरुद्ध आईआरडीएआई द्वारा प्रारंभ की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार हैः (पहले नवीनतम वर्ष):

10. पिछले पाँच वर्षों के लिए कंपनी के पॉलिसीधारक संरक्षण और पॉलिसीधारकों की शिकायतों की विचाराधीनता (पेंडेन्सी) के रिकॉर्ड का विवरणः

शिकायत निवारण							
क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष*	परिवर्धन	पूर्णतः स्वीकृत	अंशतः स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित शिकायतें
1	**ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें****						
क)	विक्रय से संबंधित						
ख)	नये व्यवसाय से संबंधित						
ग)	पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित						
घ)	दावा सर्विसिंग से संबंधित						
ङ)	अन्य						
	कुल संख्या						

2	**अवधि-वार लंबित स्थिति**	**ग्राहकों द्वारा की गई शिकायतें**	**मध्यवर्तियों द्वारा की गई शिकायतें**	**कुल**
क)	15 दिन से कम			
ख)	15 दिन से अधिक			
	कुल संख्या			

* प्रारंभिक शेष को पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष के साथ मेल खाना चाहिए।

** मध्यवर्तियों द्वारा की गई शिकायतों के लिए ऐसा ही अलग-अलग विवरण देना होगा।

11. स्वतंत्र बीमांकिक विशेषज्ञ द्वारा परिकलित आवेदक कंपनी का अंतःस्थापित मूल्य …………………………… है।

उक्त अंतःस्थापित मूल्य की रिपोर्ट .... द्वारा तैयार की गई है।

12. निर्गम के पहले की और बाद की शेयरधारिता के स्वरूप का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	नाम	वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप			विक्रय/निर्गम के लिए प्रस्तावित पेशकश		प्रस्तावित शेयरधारिता का स्वरूप		
		स्थिति (भारतीय /विदेशी)	धारित शेयरों की संख्या	धारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	स्थिति (भारतीय /विदेशी)	शेयरों की संख्या	प्रति-शत
1.									
2.									
3.									

13. भारतीय स्वामित्वप्राप्त और नियंत्रित होने के अनुपालन की पुष्टिः

मेसर्स .... इसके द्वारा पुष्टि करता है कि वह भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2005 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2(7ए)(बी) तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित रूप में भारतीय स्वामित्वप्राप्त और नियंत्रित होने की अपेक्षाओं का अनुपालनकर्ता है तथा इस आवेदन के अनुसार पूँजी निर्गम के बाद निरंतर इनका अनुपालन कर्ता रहेगा।

14. आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित रूप में पूँजी निर्गम / विक्रय के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित .... को संपन्न बोर्ड की बैठक के आवश्यक उद्धरण संलग्न हैं।

इसके द्वारा पुष्टि की जाती है कि इसके साथ दिये गये संलग्नकों सहित फार्म ए और अनुबंध में प्रस्तुत सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है अथवा दबाया नहीं गया है।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर)

पदनाम

(बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

पदनाम

स्थानः

दिनांकः

अनुसूची 1

[विनियम 6 (1)(iv) देखें]

बीमा कंपनियों के लिए प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009 (आईसीडीआर) में पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के लिए ढाँचा निर्धारित किया है। आईसीडीआर की अनुसूची VIII के भाग `ए' के अंतर्गत रेड हेरिंग विवरणिका, शेल्फ विवरणिका और विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) में प्रकटीकरण अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं।

इन विनियमों के अधीन पूँजी निर्गम / विक्रय के लिए प्रस्ताव करने की अपेक्षा करनेवाली आवेदक कंपनी प्रस्ताव दस्तावेज में निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगी। ये प्रकटीकरण आईसीडीआर विनियमों में सेबी द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त होंगे तथा इन्हें सेबी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनादर के रूप में नहीं देखा जाएगा।

(क) आवेदक कंपनियों के लिए विशिष्ट जोखिम कारक;

(ख) बीमा उद्योग की समीक्षा;

(ग) वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण;

(घ) बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली;

(ङ) निर्गम का ब्योरा;

(च) जारीकर्ता के बारे में विवरण;

(छ) कानूनी और अन्य जानकारी।

प्रकटीकरण का विवरण नीचे निर्दिष्ट रूप में हैः

(क) ***आवेदक कंपनी के लिए विशिष्ट जोखिम कारक***

प्रस्ताव दस्तावेज में बीमा क्षेत्र के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वियोजित किया जाएगाः

1. **बीमा जोखिमः** व्यपगम दरों, व्यय स्तरों, मृत्यु / अस्वस्थता दरों के प्रभाव सहित, सर्वोत्तम प्राक्कलन के गलत अनुमान के कारण अथवा दावों और अन्य नकदी प्रवाहों की बारंबारता और आकार में यादृच्छिक घट-बढ़ के कारण उत्पन्न होनेवाला जोखिम।
2. **बाजार जोखिमः** विदेशी बाजार और आर्थिक कारकों के कारण परिसंपत्तियों, देयताओं और वित्तीय लिखतों की बाजार कीमतों के स्तर में परिवर्तनों अथवा उनकी अस्थिरता से उत्पन्न होनेवाला जोखिम।
3. **ऋण जोखिमः** पुनर्बीमा और वित्तीय व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव्स) जैसी जोखिम न्यूनीकरण संविदाओं के प्रति चूक के जोखिम सहित, प्रतिपक्षकार अथवा बाध्यताधारी की चूक का जोखिम।
4. **परिचालन जोखिमः** अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, अथवा बाह्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली हानि का जोखिम।
5. **चलनिधि जोखिमः**
   - कीमत-निर्धारण तथा बीमा और वार्षिकी उत्पादों के लिए आरक्षित निधियाँ स्थापित करने में प्रयुक्त पूर्वानुमानों के परिणामस्वरूप भावी वास्तविक दावों में भिन्नताओं के कारण आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव।
   - संकेन्द्रित अभ्यर्पण।
6. **आपाती हानि जोखिमः** आपाती हानियों के कारण लाभप्रदता अथवा नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रभाव।
7. **पुनर्बीमा जोखिमः**
   - सामयिक आधार पर पुनर्बीमा प्राप्त न करना।
   - एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा चूक।

8. **अंतःस्थापित मूल्य जोखिमः** अंतःस्थापित (एम्बेडेड) मूल्य संबंधी सूचना अनेक पूर्वानुमानों पर आधारित है तथा इसमें महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अंतर्निहित धारणाओं में परिवर्तन होता है।
9. **विनियामक जोखिमः**
    - विनियामक परिवर्तनों के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव
    - विनियामक जाँच-पड़ताल तथा परिणामी प्रतिबंध अथवा दंड बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा, व्यवसाय, परिचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
10. **बाजार वृद्धि जोखिमः** भारतीय बीमा बाजार की वृद्धि की निम्न दर।
11. **वितरण जोखिमः**
    - कुछ वितरण माध्यमों पर अत्यधिक निर्भरता।
    - विभिन्न वितरण माध्यमों को विकसित न करना।
    - एजेन्सी बल विकसित करने में कठिनाई।
12. **अन्य जोखिम**
    - चयनित बीमांकिक कार्मिकों पर अत्यधिक निर्भरता।
    - वित्तीय विवरणों को समझने में कठिनाई।
    - अप्रत्याशित दावों और बीमा-रक्षा संबंधी मुद्दों के प्रभाव।
    - बीमा कंपनी की पॉलिसियों का क्षेत्र / प्रकार द्वारा संकेन्द्रण।
    - बीमा उद्योग का चक्रीय स्वरूप।
    - लाभों, दावों और अन्य लागतों का पूर्वानुमान करने में अथवा ऐसी लागतों का प्रबंध करने में कठिनाई।

कम से कम, उक्त संबद्ध जोखिम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित
निदर्शी सूची को सम्मिलित करेंगे।

(ख) **बीमा उद्योग की समीक्षा**

बीमा उद्योग की समीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं पर विवरण प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में बीमा उद्योग की पृष्ठभूमि, वैश्विक और देशी बीमा परिवेश, उद्योग का दृष्टिकोण, प्रवृत्तियों का विश्लेषण, क्षेत्र द्वारा निधियों का निवेश, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), मध्यवर्ती संस्थाएँ, बीमा विधान में परिवर्तन, तथा लागू कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति को समाविष्ट किया जाएगाः

1. प्रस्तावना
2. बीमा उद्योग के बारे में पृष्ठभूमि
    - 2.1 बीमा उद्योग का विहंगावलोकन
    - 2.2 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
3. वैश्विक बीमा परिवेश – बीमा व्यापन, सघनता, उद्योग का विकास, आदि को समाविष्ट करते हुए वैश्विक और घरेलू परिदृश्य के संबंध में संक्षेप।
    - 3.1 वैश्विक बीमा परिवेश
    - 3.2 देशी बाजार समीक्षा

4. उद्योग का दृष्टिकोण – जीवन बीमा – जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम
   4.1 बाजार अंश (% शेयर)
   4.2 व्यवसाय का विकास
5. प्रवृत्तियों का विश्लेषण – जीवन बीमा
   5.1 विस्तारित बीमा-रक्षा
   5.2 नये उत्पादों का प्रारंभ
   5.3 स्वास्थ्य बीमा उत्पाद
   5.4 पुनर्बीमा समर्थित उत्पाद
6. बीमा उद्योग द्वारा निधियों का निवेश
   6.1 निवेश का स्वरूप
7. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
8. मध्यवर्ती संस्थाएँ
   8.1 कमीशन संरचना
   8.2 जीवन बीमा उद्योग
9. बीमा विधान में परिवर्तन
   9.1 बीमा विधान में परिवर्तन
   9.2 विनियामक विषय और परिवर्तन
   9.3 उपभोक्ता संबंधी परिवर्तन
   9.4 अतिरिक्त खंडों को हटाना
   9.5 आईआरडीएआई की प्रवर्तन शक्तियों में वृद्धि और दंड लागू करना
10. बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश
11. उपसंहार

(ग) **वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण**

बीमा उद्योग के लिए विशिष्ट प्रकटीकरणों के अंतर्गत मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलू शामिल होंगेः

1. **वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरणः** वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फार्मेटों के अनुसार आईसीडीआर विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया जाएगा।
2. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :** वित्तीय विवरण को पुनर्व्यवस्थित करते समय महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।
3. वित्तीय विवरणों के लिए **अतिरिक्त प्रकटीकरण** किये जाएँगेः
   i. पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध बीमा लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय;
   ii. सकल प्रीमियम – भौगोलिक खंडीकरण के साथ
   iii. प्रति-विक्रय (क्रॉस-सेलिंग)

iv. वितरण का नेटवर्क

v. निरंतरता

vi. प्रबंध व्यय (ईओएम) अनुपात

vii. निवेश प्रतिफल

viii. ईक्विटी और बांडों में निवेश – प्रतिफल, प्रत्येक उद्योग को एक्सपोज़र और कुल निवेश तथा ईक्विटी और बांडों के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में कुल निधियों के 5% से अधिक का निवेश

ix. पुनर्बीमा और पुनर्बीमा कार्यनीति

x. ब्याज दर संवेदनशीलता

xi. भावी पॉलिसी लाभों के लिए देयता और पॉलिसीधारक खाता शेषराशियाँ।

xii. अप्राप्त अभिलाभ / हानियों की गणना करने की विधि

xiii. शोधक्षमता व्याप्ति (कवरेज) अनुपात

xiv. बीमा कंपनी की संविदाओं के अंतर्गत भावी प्रतिबद्धताओं तथा पॉलिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए गणितीय आरक्षित निधियों की पर्याप्तता की पुष्टि करते हुए नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणीकरण;

xv. पिछले तीन वर्षों के लिए पॉलिसियों का खंड-वार व्यपगमन एवं कंपनी की लाभप्रदता के लिए ऐसी व्यपगत पॉलिसियों का अंशदान;

xvi. भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकिक प्रथा मानक के अनुसार अंतःस्थापित मूल्य

xvii. लेखांकन और अन्य अनुपातः समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में बीमा उद्योग के विशिष्ट संदर्भ में उक्त अनुपात।

xviii. एजेंट उत्पादकता

xix. नये व्यवसाय का मूल्य

4. कानूनी और अन्य सूचनाः बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन।

5. शिकायत निवारण और दावों के निपटान की अवधि सहित परंतु इन्हीं तक असीमित, पिछले पाँच वर्षों के दौरान पॉलिसीधारक संरक्षण और पॉलिसीधारकों की शिकायतों की विचाराधीनता (पेंडेंसी) के संबंध में कंपनी के रिकॉर्ड का विवरण।

(घ) **बीमा क्षेत्र में प्रयुक्त शब्दावली :**

कम से कम, जारीकर्ता और उद्योग से संबंधित शब्दों का विवरण देते हुए प्रस्ताव दस्तावेज में, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित निदर्शी शब्दावली शामिल की जाएगी।

(ङ) **निर्गम का विवरणः** निर्गम के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित प्रकटीकरण किये जाएँगेः

क. शोधक्षमता (साल्वेन्सी) की अपेक्षा को बढ़ाना;

ख. सामान्य कॉरपोरेट प्रयोजन; और/या

ग. कोई अन्य प्रयोजन जिसके लिए प्राधिकरण का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त हो।

(च) **जारीकर्ता के बारे में विवरणः** बीमा कंपनी के बारे में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किये जाएँगेः

1. कॉरपोरेट अभिशासनः

- इस आशय का प्रकटीकरण कि बीमाकर्ता ने सूचीबद्धता करार में निहित अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।
- जारीकर्ता के द्वारा गठित सभी समितियों का विवरण, प्रत्येक समिति के सदस्यों के नामों तथा विचारार्थ विषयों के सार-संक्षेप सहित जिनके अधीन संबंधित समिति परिचालन करती हो।

2. प्रमुख कार्मिक व्यक्ति

3. निवेशक

4. प्रवर्तक

(छ) **कानूनी और अन्य सूचनाः**

अस्वीकरण खंडः

यह निर्दिष्ट करते हुए घोषणा कि "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई') बीमा कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए अथवा किये गये किसी भी वक्तव्य के सहीपन के लिए अथवा इस संबंध में अभिव्यक्त किसी भी अभिमत के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता।"

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/असा./161/15(294)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 17th December, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance Business) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/22/112/2015 .— In exercise of the powers conferred by Section 114A read with Section 6A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Regulatory and Development Authority of India, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations in supersession of the Insurance Regulatory and Development Authority (Issuance of Capital by Life Insurance Companies) Regulations, 2011, namely*:*

1. Short title and commencement

(1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015.

(2) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall be applicable to Indian insurance companies granted certificate of registration to transact the business of life insurance.

Definitions

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires;

i. **"Act"** means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

ii. **"Applicant Company"** means an Indian Insurance Company which has been granted certificate of registration to transact the business of Life Insurance in terms of Section 3 of the Act;

iii. **"Application"** means the application in Form "A" of these Regulations filed by the applicant company for obtaining prior approval of the Authority for issuance of capital under these Regulations;

iv. **"Authority"** means Insurance Regulatory and Development Authority of India established under section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;

v. **"Corporate Governance Guidelines"** means the guidelines issued by the Authority in this regard;

vi. **"ICDR Regulations"** means the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 as amended from time to time;

vii. **"Indian Insurance Company"** means an "Indian Insurance Company" as defined in section 2 (7A) of the Insurance Act, 1938;

viii. **"Investor"** means an "investor" as defined in regulation 2 (f) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015;

ix. **"Offer Document"** means an "offer document" as defined under the ICDR Regulations;

x. **"Promoter"** of an applicant company means a "promoter" as defined in Section 2 (69) of the Companies Act, 2013 and includes "Indian Promoter" as defined in IRDA (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000.

Provided that for the purpose of filing of the offer document with SEBI, the definition of "promoter" under SEBI (ICDR) Regulations, 2009 shall apply;

xi. **"SEBI"** means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(2) All words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), or in any Rules or Regulations made thereunder, shall have the same meaning as respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

Prior Written Approval by the Authority

3. No Indian insurance company transacting Life insurance business shall approach SEBI for public issue of shares and for any subsequent issue, by whatsoever name called, under the ICDR Regulations without the specific previous approval of the Authority in writing under these Regulations.

Manner and Procedure

4. (1) These Regulations shall be applicable to the Applicant Company to raise funds under the ICDR Regulations through any of the following options

i. Divestment of equity by one or more of the promoter or the investor through a public offer for sale; or

ii. Issue of Capital; or

iii. Both (i) and (ii)

Provided that any issue of capital other than as specified at (i), (ii) and (iii) above, including any transfer of shares beyond the specified limits as laid down under section 6A (4)(b)(ii) / (iii) of the Act, shall require the specific prior approval of the Authority. Such transfer of shares and approvals thereof shall be governed by the IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015.

(2) An applicant company proposing to raise share capital through a public issue in terms of these Regulations may do so at any time from the date of grant of Certificate of Registration.

Provided that promoters and/or investors shall abide by the lock in period, if any, specified by the Authority at the time of grant of Certificate of Registration.

(3) The application for approval of the Authority shall be filed in Form 'A' of these Regulations.

(4) The Applicant Company may issue shares as fully paid up or partly paid up shares. Where partly paid up shares have been issued, the Applicant Company shall not allow any period exceeding one year for payment of calls on shares.

Consideration of application

5. (1) The Authority shall consider the applicant company's overall financial position, its regulatory record, the application for issue / offer for sale, the capital structure post issue / offer for sale, and the purposes for which the share capital proposed to be raised, will be applied.

(2) Without prejudice to the generality of (1) above, the Authority shall consider the following aspects for grant of approval:

i. The period for which the applicant company has been in life insurance business;
ii. The history of compliance with the regulatory requirements by the applicant company;
iii. The maintenance of the prescribed regulatory solvency margin as at the end of the preceding six quarters commencing from the quarter immediately prior to the date of filing the application;
iv. Compliance with the disclosure requirements mandated under IRDA Circular No. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time;
v. Compliance with the Corporate Governance Guidelines;
vi. Compliance with the requirements of "Indian owned and controlled" as defined under section 2(7A) (b) of the Act read with the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and any guidelines issued by the Authority in this regard;
vii. The record of policyholder protection; and
viii. The Embedded Value of the applicant company. The Embedded Value Report shall be prepared by an independent Actuary in the manner prescribed by the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India.

Provided that the Authority may allow the Applicant Company to file the report of the Independent Actuary at least 30 days before the date of issue of Prospectus/Drafted Red Herring Prospectus (DRHP).

Approval of the Authority

6. (1). While according its approval, the Authority may prescribe the following:

i. The extent to which the promoters and the investors shall dilute their respective shareholding;
ii. The maximum subscription which may be allotted to any class of foreign investors;
iii. Minimum lock-in period for the promoters and the investors from the date of allotment of shares. The lock in period shall be without prejudice to the requirements which may be in place under the ICDR Regulations;
iv. Disclosures in the Prospectus / Offer document as indicated at Schedule 1 of these Regulations, in addition to such disclosures as may be prescribed by SEBI.
v. Modification in the Articles of Association of the Applicant company so as to explicitly provide that no transfer beyond the limit specified in Section 6A of the Act shall be registered without the prior approval of the Authority; and
vi. such other conditions as may be deemed fit by the Authority.

(2) Any approval by the Authority under these Regulations shall not in any manner be deemed to be or serve as a validation of the representations by the applicant company in any offer document. This fact shall be disclosed in bold letters in the offer document.

7. The Authority shall not accord its approval if it is of the opinion that :

(a) The applicant company is not compliant with the regulatory framework; or
(b) Consequent upon the dilution of shareholding by the promoter(s) and/or Investor(s) or issue of fresh capital, the applicant company shall not be Indian owned and controlled; or
(c) The grant of approval may be detrimental to the interests of policyholders; or
(d) the grant of approval may not be in the interests of the insurance business in the country.

Timelines for approval of the Authority

8. The Authority shall process and grant approval on the application as expeditiously as possible, and the applicant company shall ensure prompt response to the queries and requests for information from the Authority for processing the application.

Validity of Approval

9. The approval granted by the Authority shall be valid for a period of one year from the date of issue of the approval letter, within which the applicant company shall file the Draft Red Herring Prospectus (DRHP) with SEBI under the ICDR Regulations subject to compliance of these Regulations.

Provided that the Authority may, on receipt of a written request from applicant company, extend the validity by a further period of six months.

Power to issue Direction

10. The Authority may direct an Indian Insurance Company transacting life insurance business to get listed on the stock exchange(s) if the circumstances so warrant. Such company shall, notwithstanding the lock-in period, within a period of one year from the date of such directions, comply with the directions issued by the Authority.

Power to remove difficulties and issue clarifications:

11. In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.III/4/Exty./161/15]

FORM A

Application for approval in terms of IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life insurance business) Regulations, 2015

(Please refer Regulation 4)

The Chairman

Insurance Regulatory and Development Authority of India

Parishram Bhavan

3rd Floor, Basheer Bagh

Hyderabad – 500 004

Sir,

In terms of the IRDAI (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting life insurance business) Regulations, 2015, M/s …………………………………… (Registration No. ….. dated ……….) which has completed ……. years of operations, hereby applies to the Authority seeking permission to raise funds through a public issue under the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations).

2. The details of the various performance parameters referred to under regulation 5 are placed at Annexe along with the requisite enclosures as listed below:

(i)

(ii)

(iii)

3.The Embedded Value Report prepared by an Independent Actuary in compliance with the prescriptions laid down by the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India is annexed to the Application. (In case it is not submitted with the application, the Report has to be submitted at the earliest and at least 30 days before the date of issue of prospectus/ DRHP.)

4. On receipt of the approval from the Authority, the (insurance company) ……………shall file an offer document with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the ICDR Regulations within a period of one year and shall ensure compliance with the requirements under the said Regulations and such other conditions as the Authority may impose while granting approval.

Place: Yours faithfully

Date: **(Signature of the Chief Executive Officer)**

Designation

(Signature of the Chairman of the Board)

Designation

Annexure to the Application

(Please refer Form A under Regulation 4)

1. Name of the applicant Company:
2. Registration No. and Date of Registration:
3. Number of years from the date of commencement of operations:
4. Solvency Position for the last six quarters:

Sl. No.	Quarter Ended (Latest quarter first)	Solvency Position
1		
2		
3		
4		
5		
6		

5. Status of Compliance with the Expenses of Management requirements under the Insurance Act, 1938 and the Regulations made thereunder for the last five years:

Sl. No.	Financial Year (latest year first)	Allowable Expenditure (Rs. in Crore)	Actual Expenditure (Rs. in Crore)	Compliance Status
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

6. Details of net profit, paid up capital and net-worth of the insurer for the last five years:

Sl. No.	**Financial Year (latest year first)**	**Net Profit/Loss (Rs. in Crore)**	**Paid-up Capital (Rs. in Crore)**	**Net-worth (Rs. In Crore)**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

7. Confirmation of Compliance with the Disclosure Requirements:

M/s. …………………………. hereby confirms that it is compliant with the disclosure requirements as mandated in the IRDA Circular No. IRDA/ F&I/ CIR/ F&A/ 012 /01/ 2010 dated 28th January, 2010 as amended and modified from time to time.

(Details of deviations, if any should be brought out).

8. Confirmation of Compliance with the Corporate Governance Guidelines:

M/s …………………………. hereby confirms that it is compliant with the Corporate Governance Guidelines issued by IRDAI.

(Details of deviations, if any should be brought out).

9. Details of regulatory action initiated by IRDAI against the insurer during the last five years are as under: (Latest First):

10. Details of the company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints for the last five years:

GRIEVANCE DISPOSAL							
Sl. No.	Particulars	Opening Balance*	Additions	Fully Accepted	Partial Accepted	Rejected	Complaints Pending
1	**Complaints made by customers****						
a)	Sales Related						
b)	New Business Related						
c)	Policy Servicing Related						
d)	Claims Servicing Related						
e)	Others						
	Total Number						

2	**Duration wise Pending Status**	**Complaints made by customers**	**Complaints made by Intermediaries**	**Total**
a)	Less than 15 days			
b)	Greater than 15 days			
	Total Number			

*Opening balance should tally with the closing balance of the previous financial year.
** Similar break-up to be given for the complaints made by intermediaries

11. The Embedded value of the company as arrived at by the independent Actuary is……………….
The embedded Value Report has been prepared by _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12. The details of the pre and post issue shareholding pattern are as under:

S. No.	Name	Existing Shareholding Pattern			Proposed Offer for Sale / issue		Proposed shareholding pattern		
		Status (Indian /foreign)	No. of shares held	Per cent held	No of shares	percent	Status (India/ foreign)	No. of shares	percent
1.									
2.									
3.									

13. Confirmation of compliance with Indian Owned and Controlled:

M/s. ………………………….. hereby confirms that it is compliant with the requirements of Indian owned and controlled as defined under section 2(7A) (b) of the Act read with Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Rules, 2015 and guidelines issued by the Authority and shall continue to be compliant after the issue of capital in accordance with this application.

14. The requisite extracts of the Board meeting held on ……………………….. duly certified by the Company Secretary approving the issuance of capital/offer for sale as proposed by the applicant company are enclosed.

It is hereby confirmed that the information furnished in Form A and Annexure along with the attachments therewith is correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Place **(Signature of the Chief Executive Officer)**

Designation

Date: **(Signature of the Chairman of the Board)**

Designation

Schedule 1

[Please refer regulation 6 (1) (iv)]

Disclosure Requirements for Insurance Companies:

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has laid down the framework for issue of capital and disclosure requirements in the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR). Part 'A' of Schedule VIII of the ICDR lays down the disclosure requirements in the Red Herring Prospectus, Shelf Prospectus and Prospectus.

An applicant company seeking to issue capital/make an Offer for Sale under these Regulations shall make the following disclosures in the offer document. These disclosures shall be in addition to the prescriptions laid down by SEBI in the ICDR Regulations and shall not be seen in derogation from the requirements prescribed by SEBI:

(a) Risk factors specific to the applicant company;
(b) Overview of the insurance industry;
(c) Disclosure of Financial Statements;
(d) Glossary of terms used in the insurance sector;
(e) Particulars of the Issue;
(f) Particulars about the Issuer;
(g) Legal and Other Information.

The details of disclosures are as indicated below:

(a)*Risk factors specific to the applicant company*

The Offer Document shall list out the risk factors specific to the insurance sector, to be broadly segregated into the following categories:

1. **Insurance Risk**: Risk arising because of inaccurate estimation of the best estimate or because of random fluctuations in the frequency and size of the claims and other cash flows including Impact of Lapse rates, Expenses Levels, Mortality / Morbidity Rates
2. **Market Risk**: Risk arising out of variations in the level or volatility of the market prices of assets, liabilities and financial instruments due to external market and economic factors.
3. **Credit Risk**: Risk of default of a counterparty or obligor, including the risk of default of risk mitigating contracts like reinsurance and financial derivatives.
4. **Operational Risk**: The risk of loss, resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external events.
5. **Liquidity Risk :**
    - Adverse impact on earnings due to differences in future actual claims resulting from the assumptions used in pricing and establishing reserves for insurance and annuity products
    - Concentrated surrenders
6. **Catastrophic Losses Risk :** Material impact on profitability or cash flow due to catastrophic losses
7. **Reinsurance Risk**
    - Failure to obtain reinsurance on timely basis.
    - Default by one or more reinsurers
8. **Embedded Value Risk** : the embedded value information is based on several assumptions and may vary significantly as the underlying assumptions are changed.
9. **Regulatory Risks :**
    - Material effects due to Regulatory changes
    - Regulatory investigations and the resulting sanctions or penalties may adversely affect the reputation, business, result of operations and financial conditions of the insurance company.
10. **Market Growth Risk :** the low / high rate of growth of insurance market.
11. **Distribution Risks** :
    - Over dependence on certain distribution channels.
    - Failure to develop various distribution channels
    - Difficulty in developing agency force

12. Other risks

- Excessive dependence on select actuarial personnel.
- Difficulty in understanding financial statements
- Effects of unexpected claims and coverage issues
- Concentration by region / type of policies of the insurance company
- Cyclical nature of insurance industry
- Difficulty in predicting benefits, claims and other costs or to manage such costs

At the minimum, the associated risks shall cover the illustrative list as prescribed by the Authority from time to time.

(b) Overview of the insurance industry

The overview of the insurance industry shall briefly cover the background of the insurance industry, the global and domestic insurance environment, industry outlook, analysis of trends, Investment of funds by the sector, FDI in Insurance Sector, Intermediaries, changes in Insurance Legislation, and compliance status with the applicable Corporate Governance Guidelines furnishing particulars on the following aspects:

1. Introduction

2. Background about Insurance Industry

2.1. Overview of the Insurance Industry

2.2. Insurance Regulatory and Development Authority of India

3. Global Insurance Environment- A brief on global and domestic scenario covering Insurance penetration, density, growth of Industry, etc.

3.1. Global Insurance Environment

3.2. Domestic Market Overview

4. Industry Outlook - Life Insurance -Total premium underwritten

4.1. Market Share (% share)

4.2. Growth of Business

5. Analysis of Trends - Life Insurance

5.1. Enlarged Coverage

5.2. Introduction of New Products

5.3. Health Insurance Products

5.4. Reinsurance supported Products

6. Investment of Funds by the Insurance Industry

6.1. Investment Pattern

7. FDI in Insurance Sector

8. Intermediaries

8.1. Commission Structure

8.2. Life Insurance Industry

9. Changes in Insurance Legislation

9.1. Change in Insurance Legislation

9.2. Regulatory Issues and Changes

9.3. Consumer Related Changes

9.4. Removal of Redundant clauses

9.5. Enhancement of Enforcement Powers of the IRDAI and levy of Penalties

10. Corporate Governance Guidelines for Insurance Companies

11. Conclusion

(c) Disclosure of Financial Statements

Disclosures specific to the insurance industry would broadly cover the following aspects:

1. **Presentation of the financial statements**: The presentation of financial statements shall be made for the period as specified in the ICDR Regulations as per the formats prescribed by the Authority from time to time.

2. **Significant accounting policies:** Disclosure of the significant accounting policies while recasting the financial statement shall also be made.
3. **Additional disclosures** shall be made to the financial statements:
   i. Awards given by Insurance Ombudsmen against the company during last three years;
   ii. Gross premium- along with Geographic segmentation
   iii. Cross selling
   iv. Distribution network
   v. Persistency
   vi. Expenses of Management ratio
   vii. Investment yield
   viii. Investment in Equity and Bonds – yield, exposure to each industry and total investment and Investment of above 5% of total Funds in each sector through equity and bonds
   ix. Reinsurance and Reinsurance Strategy
   x. Interest rate sensitivity
   xi. Liability for future policy benefits and policyholders account balances.
   xii. Manner of arriving at unrealized gain/losses
   xiii. Solvency ratio
   xiv. Certification by the Appointed Actuary confirming the adequacy of Mathematical Reserves to meet the insurance company's future commitments under the contracts and the policyholders' reasonable expectations;
   xv. Segment-wise lapsation of the policies for last three years and contribution of such lapses to the profitability of the company;
   xvi. Embedded Value calculated by an Independent Actuary as per the Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India.
   xvii. Accounting and other ratios: The ratios with specific reference to the insurance industry as prescribed by the Authority from time to time
   xviii. Agent Productivity
   xix. Value of New Business
4. Legal and Other Information: Compliance with the regulatory requirements under the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder.
5. Details of the company's record of Policyholder Protection and the pendency of the policyholder complaints during the last five years, including but not limited to grievance redressal and ageing of claims.

(d) Glossary of terms used in the insurance sector:

At the minimum, the illustrative glossary of terms as prescribed by the Authority from time to time shall be included in the Offer Document giving details of the Issuer and industry related terms.

(e) Particulars of the Issue: The following disclosures shall be made about the objects of the Issue:

a. to augment the solvency requirement;

b. general corporate purposes; and/or

c. any other purpose which has the specific approval of the Authority.

(f) Particulars about the Issuer: The following additional disclosures shall be made about the insurance company:

1. **Corporate Governance:**
   - Disclosure to the effect that the insurer has complied with the requirements of Corporate Governance as laid down by the Authority in addition to those contained in the Listing Agreement.
   - Details of all Committees set up by the issuer, including the names of committee members and a summary of the terms of reference under which the respective committee operates.
2. **Key Management Persons**
3. **Investors**
4. **Promoters**

(g) Legal and Other Information:

Disclaimer clause:

The declaration indicating that "Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") does not undertake any responsibility for the financial soundness of the insurance company or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed in this connection."

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT.III/4/Exty./161/15(294)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.